

पत्र संख्या-11/आ०-2-आ०नी०-05/2010 (खंड) सा०प्र०.....15866

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दिवाकर मणि,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-.....०१.९.१६

विषय :- क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-246 दिनांक-09.06.2004 द्वारा कार्मिक एवं DOPT के पत्रांक-17 दिनांक-06.02.1994 द्वारा परिचारित DOPT (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार) के पत्रांक-36012/12/93-ईस्ट (एस0सी0टी0) दिनांक-08.09.1993 में निहित क्रीमीलेयर संबंधी दिशा-निदेश के अंग्रेजी भाषा का हिन्दी रूपान्तरण लोकहित में आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर परिचारित किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा-निदेश परिचारित है।

विभागीय परिपत्र संख्या-11490 दिनांक-16.08.2012 की कंडिका-5 में यह प्रावधान किया गया है कि-

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जाति, आवास एवं आय प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्गत होते हैं, परन्तु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति, आवास एवं आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सीधे क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायें।

विभागीय परिपत्र संख्या-11490 दिनांक-16.08.2012 की कंडिका-6 में यह प्रावधान है कि-

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र में आवास एवं उम्मीदवार की जाति का भी उल्लेख रहता है। अतः यथास्थिति क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र को जाति एवं आवास प्रमाण-पत्र के रूप में भी मान्य किया जा सकता है।

इसी प्रकार परिपत्र संख्या-11490 दिनांक-16.08.2012 की कंडिका-7 में यह प्रावधान है कि-

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु आवेदक/आवेदिका के माता/पिता के वेतन से आय एवं कृषि से आय को जोड़ कर वार्षिक आय का निर्धारण नहीं करने संबंधी केन्द्र सरकार के दिशा निदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जायें।

विभागीय परिपत्र संख्या-15440 दिनांक-05.12.2017 द्वारा स्वयं शपथ पत्र (फार्म-XVIIIIB) को संलग्न करते हुए परिचारित किया गया है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बार-बार निर्गत नहीं किए जायेंगे। पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की स्थिति में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी स्वयं शपथ पत्र (फार्म-XVIIIIB) आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जिसके आधार पर पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र को वैध माना जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा परिचारित परिपत्र संख्या-14011 दिनांक-25.11.2021 में भी विभागीय परिपत्र संख्या-11490 दिनांक-16.08.2012 की कंडिका-5 एवं 7 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु तत्कालिक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-246 दिनांक-09.06.2004 द्वारा परिचारित निदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किए जाने का निदेश दिया गया है।

कतिपय स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिचारित दिशा-निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

अतः उक्त विभागीय परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि आमजनों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े।

विश्वासभाजन,
31.08.26
(दिवाकर मणि)

सरकार के अवर सचिव